(वाद सं0– 6573/4/4/2021)

22.11.2023

नोटिस के बावजूद भी परिवादी अनुपस्थित है।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, सुखदेव शर्मा, की गंभीर बिमारी के ईलाज हेतु दवाई व भरण–पोषण से सम्बन्धित है।

परिवादी का कथन है कि वह एक अतिरिक्त निर्धन दिव्यांग व रोगग्रस्त व्यक्ति है तथा वह चल–फिर नहीं सकता है। वह अपने ईलाज कराने व भरण–पोषण करने में असमर्थ है। उसकी ओर से अनुरोध किया गया है कि उसे अपनी चिकित्सा हेतु दवाई व भरण–पोषण हेतु रोजगार की व्यवस्था कराये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त मामले की सुनवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली में की गयी थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रसंगाधीन मामले में जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के प्रतिवेदन पर पूर्णतः विचार कर जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वास्थ्य योजना व उज्जवला योजना के लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में विचार करने की अनुशंसा करते हुए मामले को संचिकास्त कर दिया गया। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा पुनः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली को एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, बेगुसराय** से प्रतिवेदन की मांग की गई। **जिला पदाधिकारी, बेगुसराय** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगुसराय** के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी व उनके परिवार को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करा

दिया गया है। साथ ही साथ परिवादी को आवश्यक Consumables तथा Urine Bag, Paper Tape, Catheter, Gloves, Cotton, Gauze आदि आवश्यकतानुसार प्रत्येक माह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौड़ाही, बेगुसराय द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिवेदन में इस बात का भी उल्लेख है कि परिवादी को दिव्यांगजनों के लिए संचालित बिहार निःशक्तता पेन्शन योजना का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना ''सबंल'' के तहत सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदनानुसार, विज्ञापन संख्या–02/2017–18 के आलोक में छौड़ाही प्रखण्ड के सावंत पंचायत में जन वितरण प्रणाली के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया। आवेदन में परिवादी की पत्नी, रूकमणी देवी, का नाम उल्लेखित नहीं है।

प्रतिवेदन में परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ व उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेण्डर की आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।

राज्य आयोग के दिनांक–15.02.2023 के आदेश के आलोक में परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस सिलेन्डर की आपूर्ति के सम्बन्ध में जिला पदाधिकारी, बेगूसराय से प्रतिवेदन की माँग की गई। जिला पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ''**परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त है साथ ही साथ उसे गैस कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जा चुका है।**''

उपरोक्त पर पुनः परिवादी से प्रत्युत्तर की माँग की गयी। परिवादी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में पुनः अपनी दिव्याँग्ता की समस्या पर राज्य आयोग का ध्यान आकृष्ट कराया गया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग के उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में परिवादी को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्जवला योजना का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के प्रतिवेदन (पृष्ठ 177–174/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

संयुक्त सचिव